राजस्थान सरकार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 77 दिनांक: 13–06–2018

विज्ञप्ति

राज्य आयोग के अधीन कार्यरत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों में अध्यक्ष, महिला सदस्यों एवं पुरूष सदस्यों के रिक्त हुये एवं दिनांक 31.12.2018 तक रिक्त होने वाले निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम जिला मंच	अध्यक्ष	महिला	पुरूष
1.	अजमेर	–	01	–
2.	अलवर	–	01	–
3.	बासंवाडा	–	01	–
4.	बारां	–	–	01
5.	बाडमेर	01	–	01
6.	भीलवाडा	–	–	01
7.	बीकानेर	–	01	01
8.	बून्दी	01	01	–
9.	चित्तौडगढ़	01	01	01
10.	चूरू	01	01	01
11.	दौसा	01	01	–
12.	धौलपुर	–	01	–
13.	डूंगरपुर	01	01	01
14.	हनुमानगढ	01	–	–
15.	जयपुर प्रथम	–	–	01
16.	जयपुर द्वितीय	–	–	01
17.	जयपुर तृतीय	–	–	01
18.	जयपुर चतुर्थ	–	–	01
19.	जैसलमेर	01	–	01
20.	जालौर	01	01	–
21.	झालावाड	–	01	–
22.	झुन्झुनू	–	01	01
23.	जोधपुर प्रथम	–	01	–
24.	करौली	01	01	–
25.	कोटा	–	–	01
26.	नागौर	–	01	01
27.	पाली	–	01	–
28.	प्रतापगढ	01	–	–
29.	सवाई माधोपुर	–	–	01
30.	सीकर	01	01	01
31.	सिरोही	–	01	–
32.	श्रीगंगानगर	–	01	–
33.	टोंक	–	01	01
34.	उदयपुर	01	–	–
	योग	**13**	**21**	**18**

1. अध्यक्ष पद हेतु आवेदन करने की योग्यता/शर्ते :–

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष पद हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10(1)(क) के अनुसार, जो वर्तमान में जिला न्यायाधीश, हैं या रह चुके हैं या

जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, पात्र होगें ।

सेवारत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से ही अग्रेषित करना होगा।

सेवानिवृत जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी अथवा जो जिला न्यायाधीश होने के लिए अर्हता रखते हैं, वे आवेदक अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सीधे ही रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के कार्यालय में भिजवा सकते हैं।

आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है एवं पदस्थापन के स्थान में बदलाव किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में किया जा सकेगा।

यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 10 की उपधारा 1(क) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की अभिशंषा पर राज्य सरकार द्वारा की जावेगी। इस हेतु चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु भी बुलाया जा सकेगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय या अन्य कोई व्यय का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।

नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले, बिना प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति के, बिना फोटोग्राफ, बिना हस्ताक्षर या किसी भी कमी के साथ अपूर्ण आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।

2. **जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों के महिला/पुरूष सदस्यों की नियुक्ति हेतु निम्नांकित योग्यता धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा 10(1)(ख) के अनुसार) जो :–**

1. आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक **13.07.2018** को 35 वर्ष की उम्र से कम उम्र का ना हो ।
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखता/रखती है ।
3. योग्यता, सत्यनिष्ठा और ख्याति के व्यक्ति हों और अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक मामले या प्रशासन से सम्बन्धित समस्याओं में निपटाने में पर्याप्त ज्ञान एवं कम से कम 10 वर्षो का अनुभव रखते हों ।

ऐसे व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अयोग्य होंगे यदि वहः–

(क) किसी अपराध के लिये, जो राज्य सरकार के अभिमत में नैतिक अधमता में शामिल होता है,में दोष सिद्ध एवं कारावास के लिये दण्डादेश दिया गया है, या

(ख) अधोषित दिवालिया है, या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, या

(घ) सरकार या निगमित निकाय/सरकार द्वारा स्वीकृत एवं नियत्रिंत की सेवा से हटाया या पदच्युत किया गया है, या

(ड) राज्य सरकार के अभिमत में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता/रखती है, जिससे उसके द्वारा सदस्य के रूप में कार्य निर्वहन से प्रतिकूल प्रभाव पडनें की सम्भावना हो, या

(च) ऐसी अन्य अयोग्यताओं को रखता/रखती हो, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है ।

ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में अभिभाषक,चार्टेड अकाउन्टेट या अन्य स्व पेशा/व्यवसाय के रूप में कार्यरत है, वे यदि उक्त पद के लिये आवेदन करते है, तो सदस्य के रूप में चयन होने की स्थिति में उन्हें नियुक्ति अवधि के दौरान उक्त पेशे/व्यवसाय की सनद (प्रमाण पत्र) निलंबित करानी होगी और जिला मंच में सदस्य के रूप में कार्य करने की अवधि तक उक्त पेशा/व्यवसाय का कार्य नही करेंगे ।

आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटाई–बढाई जा सकती है एवं पदस्थापन के स्थान में बदलाव किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थान/ स्थानान्तरण राज्य के किसी भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में किया जा सकेगा ।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में सदस्य हेतु चयनित व्यक्ति लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं रहेगा, ना ही चयन के पश्चात् लाभ का पद ग्रहण करेगा । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (राजस्थान) नियम,1987 के प्रावधान एवं संशोधित राज्य सरकार के नियमों के तहत मानदेय देय होगा।

यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये होगी ।

एक से अधिक जिला मंच सदस्य हेतु आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति वांछित जिला मंच के लिये पृथक–पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त अध्यक्ष,महिला/पुरूष सदस्य के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित विवरण सहित बायोडेटा मय फोटो तीन प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि दिनांक **13.07.2018** के कार्यालय समय समाप्ति तक **"रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर"** को लिफाफे के ऊपर बांयी ओर **"जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच (जिले का नाम अंकित करें) में अध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र"** अंकित करते हुये डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें ।

13/6/2018
(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

कमांक 78-89 दिनांक 13/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. माननीय रजिस्ट्रार जनरल,राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर एवं जयपुर ।
6. प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।

7. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।

8. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।

9. राजस्थान राज्य के समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश, समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, समस्त पारिवारिक न्यायालय, समस्त श्रम न्यायालय एवं जिला न्यायाधीश स्तरिय प्राधिकरण एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान, को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं व्यापक प्रचार–प्रसार व बार एसोसियेशन को भेजने हेतु ।

10. जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन तत्काल कराए जाने हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क कर शीघ्र कार्यवाही करावें।

11. रक्षित पत्रिका।

3/6/2018

(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर

Application for the post of President of the District Consumer Disputes Redressal Forum.

Please affix your Recent Photograph

(a) (i) Full Name (in English)

(ii) नाम (हिन्दी में)

(b) Father/Husband Name

(c) Date of Birth & Age as on 13.07.2018

(d) Address with telephone Nos., fax, Email etc.

(i) Permanent Residential address

(ii) Present Address

(iii) Office address

(e) Educational & Professional Qualification (Graduation and onwards):

S.No.	Examination	University	Year in which passed	Division
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

(f) Date of joining service

(g) (i) Present Designation (In case of serving officer)

(ii) Last post held (in case of retired officer)

(h) Pay scale and Basic Pay

(i) Date of Superannuation

(j) Experience of at least past 10 years (in descending order)

S.No.	Position Held	Name & Address of the Office	Period (From-to)	Nature of Work handled
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

(k) Experience at Bar (furnish details)

(l) Identification Mark

(1)

(ii)

(m) Does the applicant have more than one living spouse? Yes/ No

(n) Does the applicant attract any of the disqualification/criteria as stated in the Consumer Protection Act, 1986 or the rules made under it? If yes, furnish details thereof.

(o) Whether any PE/DE is pending against the applicant? If yes, furnish details thereof.

(p) Whether any penalty has been imposed against the applicant in any DE? If yes, furnish details thereof.

(q) Whether any adverse entry has been made against the applicant in the annual confidential Report ? If yes, furnish details thereof.

(r) Whether the applicant had earlier applied for the post? If yes, furnish details thereof.

(s) Whether the applicant had ever been prosecuted/arrested or convicted/released on probation by any court? If yes, give the details.

(t) Whether any criminal proceeding by way of FIR or private complaint is pending against the applicant? If yes, furnish details thereof.

(u) Any other accomplishments/information, the applicant may like to furnish.

(v) Enclosure:

(1) Attested copy of Birth Certificate

(2) Attested copy of Educational Qualification (mark sheet/certificate)

(3) Attested copy of Enrolment Certificate

(4) Certificate of experience at Bar.

(5) Attested copy of Order of superannuation

Signature.

(Name)

DECLARATION

I---do hereby declare that the above information is true & correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed by me.

Signature

(Name)

Place

Date

Mobile no. or contact no.

जिला मंच सदस्य हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

वर्तमान फोटो

1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच का नाम (जिसके लिए आवेदन किया जा रहा हैं।)

2. पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (हिन्दी में)

3. पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (अंग्रेजी–केपिटल लेटर्स में)

4. जन्म तिथि एवं आयु दि0 13.07.2018 को (कृपया मैट्रिक/सैकेन्ड्री प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

5. निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता।

6. टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई–मेल आई.डी. यदि कोई हो।

7. सैकेन्ड्री एवं इससे उच्चतर उत्तीर्ण परीक्षाओं के विवरण मय वर्ष, श्रेणी, अंको का प्रतिशत और

8. बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम (कृपया प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

9. उम्मीदवार जिस भाषा को लिखने व पढ़ने में प्रवीण हो, उसका नाम।

10. क्या उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है ?

11. क्या उम्मीदवार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के सदस्य के रुप में नियुक्त किये जाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 10(1)(ख) में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी भी अयोग्यता के अंतर्गत आते हैं? यदि हां तो विवरण दें।

12. क्या उम्मीदवार को कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये अभियोजन किया गया है, या गिरफ्तार किया गया हैं, या प्रतिबंध पर छोड़ा गया है या दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।

13. क्या उम्मीदवार को किसी लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया हैं? यदि हाँ तो विवरण दें।

14. क्या उम्मीदवार को किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है या प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित हैं? यदि हाँ तो विवरण दें।

15. क्या आप किसी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में पूर्व में सदस्य रहे हैं? यदि हॉ, तो उसका पूर्ण विवरण एवं अवधि का उल्लेख करें।

16. अन्य कोई सूचना जो उम्मीदवार देना चाहें।

जो इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सेवा में हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करें। नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले, बिना दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, बिना फोटोग्राफ, बिना हस्ताक्षर एवं अपूर्ण आवेदन पत्र, बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।

स्थान

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

मो.नम्बर/सम्पर्क नम्बर